राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 2077 – 94 दिनांक : 9/2/18

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान।

विषय : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के संबंध में पालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व पृष्ठांकन कमांक एफ.7(42)जन/2017/ 9270–9450 दिनांक 04.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पृष्ठांकित पत्र के संदर्भ में लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक 08 अगस्त, 2017 अनुसार राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा–3 द्वारा अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम/अनु.–1/2008 दिनांक 05.10.2011, समय–समय पर यथा संशोधित में संशोधन कर अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या–1 के विद्यमान कम संख्याक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् नया कम संख्याक 20 एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी गई है। (अधिसूचना दिनांक 08 अगस्त 2017 की प्रति पुनः संलग्न है)

अतः इस अधिसूचना की पालना करते हुए नोटिस बोर्ड पर सारणी की जानकारी प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 2095- 2622 दिनांक : 9/2/18

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त उप पंजीयक, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 9270 – 9450 दिनांक : 4/9/17

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.–1/2011 दिनांक 08.08.17 की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

3 समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।

4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।

5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।

6 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।

7 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।

8 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।

9 संयुक्त निदेशक (कप्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।

10 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।

11 निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

(रेणू जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

JD(C)
ARG
issue Direction to all concern.
30/8/17

E-mail:

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE **Extraordinary**
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1939– अगस्त 8, 2017

Sravana 17, Tuesday, Saka 1939–August 8, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 8, 2017

Gen/JDC

संख्या प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.–1/2011 :–राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्याक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.–1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय–समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 20 एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी जावेगी, अर्थात्:–

"20.	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	127.	दस्तावेज पंजीयन	24 घंटे	उप पंजीयक	[illegible]	उप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक	तकनीकी कारणों यथा–सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विषयगत सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवायी जा सकेगी।

"

राज्यपाल के आदेश से,

पवन कुमार गोयल,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।